



डजिटल इंडिया भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

प्रलम्ब के लिये:

DILRMP, केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, सार्वजनिक-नजि भागीदारी

मेन्स के लिये:

DILRMP का संक्षिप्त परिचय, DILRMP के घटक एवं लाभ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'भूमि संवाद' - डजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।

- मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) पोर्टल और डैशबोर्ड भी लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

शुरुआत:

- डजिटल इंडिया भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) को कैबिनेट ने 21 अगस्त, 2008 को मंजूरी दी थी।
- देश में भूमिअभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिये एक संशोधित कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) तैयार किया गया है जिसे अब डजिटल इंडिया भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के नाम से जाना जाता है।
- भूमिअभिलेखों के कंप्यूटरीकरण (CLR) और राजस्व प्रशासन के सुदृढीकरण तथा भूमिअभिलेखों के अद्यतन (SRA&ULR) की दो [केंद्र प्रायोजित योजनाओं](#) को मिला दिया गया।

परिचय:

- यह एक [केंद्रीय क्षेत्र की योजना](#) है जिसे अपने मूल लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ कई नई योजनाओं के साथ अपने दायरे का विस्तार करने के लिये 2023-24 तक बढ़ा दिया गया है।
- यह देश भर में एक [उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली \(ILIMS\)](#) विकसित करने के लिये विभिन्न राज्यों में भूमिअभिलेखों के क्षेत्र में मौजूद समानता पर आधारित होगी, जिसमें अलग-अलग राज्य अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार प्रासंगिक और उचित चीजों को जोड़ सकेंगे।
 - ILIMS: इस प्रणाली में पारस्परिक स्वामित्व, भूमि उपयोग, कराधान, स्थलों की सीमाएँ, भूमि मूल्य, ऋणभार और कई अन्य जानकारी शामिल हैं।
- इसे भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

उद्देश्य:

- अद्यतन भूमिअभिलेखों, संचालित और स्वचालित उत्तरविरतन, पाठ्य और स्थानिक अभिलेखों के बीच एकीकरण, राजस्व एवं पंजीकरण के बीच अंतर-संयोजन, वर्तमान विलेख पंजीकरण तथा प्रकल्पित शीर्षक प्रणाली को शीर्षक गारंटी के साथ नरिणायक शीर्षक के साथ बदलने के लिये एक प्रणाली की शुरुआत करना।

घटक:

- भूमिअभिलेखों का कंप्यूटरीकरण।
- सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण।
- पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण।
- तहसील/तालुका/सरकल/ब्लॉक स्तर पर आधुनिक रिकॉर्ड रूम/भूमिअभिलेख प्रबंधन केंद्र।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

लाभ

- इससे नागरिक को रियल-टाइम भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे।

- रिकॉर्ड तक मुफ्त पहुँच नागरिक और सरकारी अधिकारियों के बीच इंटरफेस को कम करेगी, जिससे भ्रष्टाचार और उत्पीड़न में कमी आएगी।
 - **सार्वजनिक-नज़ी भागीदारी** (PPP) बेहतर तरीके से सेवा वितरण सुनिश्चित करते हुए यह सरकारी तंत्र के साथ नागरिक इंटरफेस को और कम करेगा।
 - सगिल-वडि सेवा या वेब-सकषम 'एनीटाइम-एनीवेयर' सुविधा नागरिक को RoRs (रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स) आदिको समय पर प्राप्त करने में सकषम बनाएगा।
 - स्वचालित होने के कारण इससे धोखाधड़ी वाले संपत्तिसौदों के दायरे में काफी कमी आएगी।
 - **नरिणायक भूमि सवामतिव से मुकदमेबाज़ी में भी काफी कमी आएगी।**
 - कंप्यूटर के माध्यम से नागरिक को भूमि डेटा (जैसे- अधवास, जात, आय आदी) के आधार पर प्रमाण पत्र उपलब्ध होंगे।
 - यह पद्धतिक्रेडिट सुविधाओं के लिये ई-लकिकेज की अनुमति देगी।
 - सरकारी कार्यक्रमों के लिये पात्रता की जानकारी आँकड़ों के आधार पर उपलब्ध होगी।
- **अन्य संबंधित पहलें**
- **राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली:**
 - यह मौजूदा मैन्युअल पंजीकरण प्रणाली से बिक्री-खरीद और भूमिके हस्तांतरण में सभी लेन-देन के ऑनलाइन पंजीकरण की ओर एक बड़ा बदलाव है।
 - यह राष्ट्रीय एकता की दशा में एक बड़ा कदम है और 'वन नेशन वन सॉफ्टवेयर' को भी बढ़ावा देगा।
 - **वशिषिट भूखंड पहचान संख्या**
 - ULPIN को 'भूमिकी आधार संख्या' के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसी संख्या है जो भूमिके उस प्रत्येक खंड की पहचान करेगी जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, वशिष रूप से ग्रामीण भारत में, जहाँ सामान्यतः भूमि-अभलिख काफी पुराने एवं वविदति होते हैं। इससे भूमिसंबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।

स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/digital-india-land-record-modernisation-programme>

